

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 17 सितम्बर, 2020

विषय: जनपद हरिद्वार में एन0एच0 74 को क्रॉस करने वाली 132 के0वी0 चीला नजीमाबाद लाईन के शिपिटिंग हेतु 0.3969 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिडकुल, हरिद्वार को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-698/FP/UK/TRANS/47915/2018, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद हरिद्वार में एन0एच0 74 को क्रॉस करने वाली 132 के0वी0 चीला नजीमाबाद लाईन के शिपिटिंग हेतु 0.3969 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिडकुल, हरिद्वार को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 एवं भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है, के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कॉरपोरेशन बैंक में ऑन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान

क्रमशः .....2

